न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 48/2020 (2020/00444) दर्ज दिनांक 07.09.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

गिरधारी लाल आत्मज कजोड़ बुनकर (सालवी) निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद

——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

——विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री मेहन्द्रसिंह चुण्डावत
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–09.10.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 7802/6077 रकबा 0.2166 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1844 पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 पेश है।

यह है कि प्रार्थी प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता गंगापुर–रायपुर मुख्य सड़क की आराजी संख्या 5942 से बिलानाम आराजी संख्या 6077/6660 रकबा 0.85 हे0 से अपनी आराजी संख्या 7802/6077 में यानि अपनी आराजी की नक्शे में उत्तरी पाली यानि 7801/6077 के दक्षिण पाली के बाद प्रार्थी के आराजी में 30 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर विद्यमान है इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजियात में बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता है तथा व आवागमन कर कृषि आराजी से फसल लाभ ले रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी में उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता विद्यमान नहीं है इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजी में आवागमन का उक्त रास्ता दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक होकर न्यायोचित है।

यह कि प्रार्थी उक्त कलम संख्या दो में वर्णित आराजी मौके पर खुला हुआ विद्यमान है जिसे विपक्षी के खाते की जमीन होने से को[illegible] आवागमन में बाधा उत्पन्न कर सकता है जिसेस प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में ज[illegible] क[illegible] रास्ते से हमरूम हो सकता है व अनावश्यक व्यवधान किसी कारण [illegible] लाभ से वंचित हो सकता है इसलिए प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में [illegible] के लिए उक्त रास्ते [illegible] मु0 रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:32:42 IST
Reason: SelfAttested

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि उक्त आराजीयात के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए इस रास्ते की सख्त आवश्यकता है और आवश्यकता के हिसाब से प्रार्थी उक्त आराजी संख्या 30 फीट का रास्ता कायम कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाया जाकर कर आवागमन का स्थायी रास्ता चाहत है और इस हेतु डीएलसी रेट से भूमि की कीमत विपक्षी को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 7802/6077 रकबा 0.2166 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1844 पर स्थित है, में आवागमन का रास्ता गंगापुर–रायपुर मुख्य सड़क की आराजी संख्या 5942 से बिलानाम आराजी संख्या 6077/6660 रकबा 0.85 हे0 मे से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 7802/6077 में जाने का उक्त आराजी के नक्शे में उत्तरी पाली यानि 7801/6077 के दक्षिण पाली के मुहाने बिलानाम तक कोने तक प्रवेश होता है जिसे बिलानाम सरकारी गै0मु0 रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान कराया जाकर रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाये जाने का प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 20/659 दिनांक 07.10.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

– यह कि ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 7802/6077 रकबा 0.2166 हे0 किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रार्थी गिरधारी लाल पिता कजोड़ बुनकर के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

–यह कि वर्तमान में उक्त आराजी में आवागमन का कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।

–यह कि मौके पर वर्तमान में रास्ता बंद नहीं है।

– यह कि मौके पर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

– यह कि मौके पर उक्त आराजी की पंहुच कोशीथल– गंगापुर सड़क आराजी संख्या 5942 से बिलानाम आराजी संख्या 6077/6660 रकबा 0.85 हे0 किस्म बारानी भूमि से होकर आवागमन किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:32:42 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

– यह कि कोशीथल के बिलानाम आराजी नं0 6077 / 6660 रकबा 0.85 हे0 भूमि में से रास्ते हेतु 0.0180 हे0 अर्थात् 180 वर्ग मीटर भूमि प्रभावित होती है, ग्राम कोशीथल की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 3,44,141 / – प्रति हे0 निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त रास्ते में प्रस्तावित भूमि 0.0180 हे0 भूमि की मालियत 6195 / – रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 12390 / – होती है।

–यह कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

– यह कि मौके पर प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

– यह कि उक्त रास्ते हेतु ग्राम पंचायत कोशीथल की अनापत्ति प्रमाण – पत्र व प्रस्ताव प्रति संलग्न है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व विपक्षी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्राथी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तथा प्रार्थना – पत्र को चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी के अधिवक्ता ने विपक्षी द्वारा बतायी गई आराजियात में से ही रास्ता देने हेतु निवेदन किया एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजियात में से रास्ता देने हेतु नियमानुसार प्रस्तावति रास्ते की मालियत राशि राजकोष में जमा कराने पर बिलानाम सार्वजनिक रास्ते हेतु सहमती जताई।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व विपक्षी के द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 7802 / 6077 में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र रास्ता जो गंगापुर–रायपुर मुख्य सड़क की आराजी संख्या 5942 से बिलानाम आराजी संख्या 6077 / 6660 रकबा 0.85 हे0 मे से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 7802 / 6077 में जाने का उक्त आराजी के नक्शे में उत्तरी पाली यानि 7801 / 6077 के दक्षिण पाली के मुहाने बिलानाम तक कोने तक प्रवेश होता है जिसे बिलानाम सरकारी गै0मु0 रास्ता दर्ज कराया जाना है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कृषि भुमि आराजी नं0 7802 / 6077 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षी की आराजी संख्या 6077 / 6660 के उत्तरी पाली से यानि आराजी नं0 7801 / 6077 के दक्षिण पाली के बिलानाम कोने के मुहाने तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता यानि 0.0180 हे0 भूमि का नवीन रास्ता प्रार्थी की आराजी में जाने हेतु दर्ज [illegible] उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का [illegible] ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएव

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancheli
Date: 2021.01.13 11:32:42 IST
Reason: SelfAttested

3.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 48 / 2020(2020 / 00444)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 7802 / 6077 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 6077 / 6660 के उत्तरी पाली से यानि आराजी नं0 7801 / 6077 के दक्षिण पाली के बिलानाम कोने के मुहाने तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता यानि 0.0180 हे0 भूमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 3,44,141 / — है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 6195 / —होती है। इसकी दुगुनी राशि 12390 / —प्रार्थी विपक्षी यानी राज्य सरकार को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0180 हैक्ट. भुमि को बिलानाम गै. मु. सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 12390 / — प्रार्थी से वसुल कर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 7802 / 6077 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 6077 / 6660 के उत्तरी पाली से यानि आराजी नं0 7801 / 6077 के दक्षिण पाली के बिलानाम कोने के मुहाने तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता यानि 0.0180 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

:: निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:32:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner